न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 26/2023–14 तारीख दायर :–23.08..2023 दिनांक निर्णय :–13.09.2023

पटवारी हल्का सकट तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

हीरालाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सकट द्वारा राजस्व ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 0.31 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता के भाग 0.01 है0 पर बाढ़ लगाकर अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी हीरालाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त होने के बावजूद नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। प्रार्थी की मंशा गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी श्री हीरालाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर वाके ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 0.31 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता के भाग 0.01 है0 राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का सकट को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 13.09.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 40 पर सि.च. 50/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार